न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 81/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

पातीराम पुत्र भोंदूराम जाति जाटव निवासी शंकरपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोतीराम पुत्र भोंदूराम जाति जाटव निवासी शंकरपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. एस0बी0बी0जे0 शाखा बसेडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 84/2016(223 आर.टी.एक्ट.)

उनवान

पातीराम पुत्र भोंदूराम जाति जाटव निवासी शंकरपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोतीराम पुत्र भोंदूराम जाति जाटव निवासी शंकरपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. एस0बी0बी0जे0 शाखा बसेडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बसेडी दि0 01.04.2016(प्राथमिक) एवं 12.05.2016 (अन्तिम) प्र.सं. 01/15 उनवानी पातीराम बनाम मोतीराम।

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री अमित कुमार वकील रेस्पोडेण्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–14.02.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय दिनांक क्रमशः 01.04.2016 (प्राथमिक डिक्री) एवं 12.05.2016 (अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादी ने एक वाद संख्या 01/2015 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 23 रकवा 3.23 है0 में रैस्पो0/वादी 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है। विवादग्रस्त आराजी संयुक्त आराजी है व रैस्पो0/वादी व अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 01 विवादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। किन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादी विवादित आराजी पर शान्ति से काश्त नहीं करने देते हैं एवं आये दिन झगडा करते हैं। अतः रैस्पो0/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर कर, विवादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड विभाजन करवाते हुए, अपने 1/2 भाग का राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई एक पक्षीय, दिनांक 01.04.2016 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार बसेडी से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये जाकर, दिनांक 12.05.2016 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त दोनों आदेशो से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा वर्तमान दोनों अपील क्रमशः 81/2016 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं 84/2016 विरूद्ध अन्तिम डिक्री, इस न्यायालय में पेश की गयी हैं।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की तामील नोटिस दिनांक 26.03.2015 के आधार पर मानी जाकर, एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। कयोंकि उक्त नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त ही नहीं हुआ है, उक्त नोटिस की पुष्ट पर रैस्पो0 मोतीराम की प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलाण्ट को ना तो कोई सूचना दी गई एवं ना ही सुनवाई का मौका दिया गया। विवादित आराजी का अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 के मध्य आपसी सहमति से विभाजन अर्सा करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा विभाजन के फलस्वरूप अपीलाण्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 1850 तथा अन्य कृषि भूमि आयी थी तथा अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 1850 में मुताबिक नक्शा पुख्ता निर्माण करा रखा है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट की बैक पर अपीलाण्ट के बाहमी विभाजन के मुताबिक हिस्से की कृषि भूमि को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से अपने हिस्से में अंकित करवा लिया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी, राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2011(2) पेज 984, 2010(1) पेज 216, 2017(1) पेज 610, 2014(1) पेज 258,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2016–17(सप्ली) पेज 711 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि अुनकूल सही हैं। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील हुई थी, अपीलाण्ट बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें हैं। अपीलाण्ट को एक पक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में ही दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 13 के प्रावधानों के तहत रद्द कराना थी। इसके अतिरिक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर बनाये गये हैं, जो विधि अनुकूल हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट /वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलाधीन आदेश उन्हें बिना सुनी, एक पक्षीय पारित किया गया है एवं कुर्रे प्रस्तावो को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.03.2015 के अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर आगामी पेशी दिनांक 26.03.2015 नियत की गई थी। किन्तु दिनांक 26.03.2015 को पत्रावली में कोई पेशी नहीं हुई एवं पत्रावली दिनांक 27.05.2015 को सीधे राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बसेडी में पेश हुई, राजस्व लोक अदालत में पक्षकार उपस्थित नहीं होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 30.07.2015 नियत की गई। किन्तु दिनांक 30.07.2015 को भी पत्रावली में कोई पेशी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सीधे दिनांक 05.11.2015 को पेशी में ली जाकर, आदेशिका में अंकित है कि '' प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है'' अधीनस्थ न्यायालय का इस प्रकार बिना पूर्व सूचना दिये, पत्रावली में पेशी निर्धारित करना, अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव में पक्षकारों की सहमति एवं गवाहो के हस्ताक्षर अंकित नही है एवं ना ही उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा ही तैयार किया गया है। अतः प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा हम अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः दोनों अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 01.04.2016(प्राथमिक) व 12.05.2016(अन्तिम) निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी को पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तैयार करते हुए, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनस्थ न्यायालय उक्त वर्णित तथ्यों पर विस्तृत विवेचन कर **अधीकतम दो माह** में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.03.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

8. दोनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ, वापस भिजवाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official